

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड



(उपकार का उपकम)

U. P. Power Corporation Limited
(U.P.Govt. Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928
e-mail- ds.02b@uppcl.org



संख्या: 29-अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2025-02-डी0एस0(02ब) / 2023-24

दिनांक : 03/04/2025

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री उत्सव कुमार (अभिरोपन-2016204, सैप आई0डी0-11007680 (गृह जनपद-फैजाबाद) (सेवानिवृत्ति तिथि-31.07.2048), उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड-2, भिनगा, श्रावस्ती अन्तर्गत उपरोपन पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिलो को अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंया0) के पद पर प्रोन्नत कर पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिलो को आवंटित किया जाता है।

- 2— परिषदादेश संख्या 1849—का.वि.नि./रा.वि.प.—29/97-14काविनी/87, दिनांक 8 अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री उत्सव कुमार को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री अनुज कुमार (अभिरोपन-2016205, सैप आई0डी0-11007789) की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंया0) के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि 08.11.2024 से अधिशासी अभियन्ता (वै0एवंया0) के पद पर प्रोन्नति माने जाते हुये प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
- 3— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं-5910—गोपन/पाकालि(06)—2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।
- 4— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं-2900—प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उपरोपन पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 5— उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।
- 6— यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- 7— कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं-2777—ज0श0 प्र0सु0 एवु प्रशि0-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में प्रोन्नत उपरोक्त अधिकारी की Joining/Relieving ई0आर0पी0 प्रणाली पर ही किया जाना है।
- 8— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मात्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उपरोपन पावर कारपोरेशन लिलो में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

अध्यक्ष

संख्या: 29 (1)अ0प्र0(2ब) / पा0का0लि0 / 2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उपरोपनपाकालिलो/उपरोपनपाकालिलो, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाचल, वाराणसी/मध्याचल, लखनऊ/दक्षिणाचल, आगरा/पश्चिमाचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3— अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उपरोपनपाकालिलो, शक्ति भवन, लखनऊ।

- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० ।
- 5— मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ ।
- 6— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० ।
- 7— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ ।
- 8— उप सचिव, ज०श० प्रशि० एवं प्रशा०सु० / गोपन / अ०प्र०—(०३ / ०४) / अ०प्र०—०७ उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ ।
- 9— अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 10— उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (०२ब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन (ई—मेल—ds.02b@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई—मेल—ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- 11— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नौटिस बोर्ड ।

आज्ञा से,

४८
 (आर० के० सिंह)
संयुक्त सचिव (०१)